न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—जगदीश आर्य

अपील संख्या 14 / 2024 तारीख रजू 07.03.2024

हनुमान पुत्र भरतलाल जाट निवासी गोठडा तह.खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित —

श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट — अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व — रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 169 / 2024 मे पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गोठडा के आराजी खसरा नम्बर 1038 / 102 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0तलाई पर संवत 2080 फसल रबी मे गेहूं काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने के कारण अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया गया है इसलिये माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं मिला तथा अगर अपीलान्ट को सम्मन नोटिस मिलता तो वह अपने पक्ष में अपना जवाबदेही पेश करता। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त आराजीयात ग्राम गोठडा की आराजी खसरा नम्बर 1038 / 102 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0तलाई पर कोई वर्तमान में कब्जाकाश्त नहीं है तथा नही अपीलान्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। मात्र पटवारी हल्का ने गलत प्रकार से रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को सजा याब किया गया है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से भू राजस्व लगान 2.18 की 50 गुना राशि 109 एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है जो माननीय अधिनस्थ

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की उक्त भूमि से लगती हुई खातेदारी भूमि है प्रार्थी का राजकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट को तामील होने पर बावजूद तामील अपीलान्ट जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 01.02.2024 को उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो। इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 01.02.2024 में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1038/102 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0तलाई में फसल रबी में गेहूं की फसल कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी खसरा नम्बर 1038/102 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0तलाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 में बेदखली, शास्ति एवं फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर